भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

PUN.CAB.APTP.No.S597/06-002/2025-2026 08 अगस्त, 2025

अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

महोदया / महोदय,

केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्रों/एमएसएमई केंद्रों के लिए NAMCABS कार्यशाला
(15 से 16 सितंबर, 2025)

भारतीय रिजर्व बैंक, कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी) 2015 से एमएसएमई क्षेत्र के वित्तपोषण के लिए बैंकरों की क्षमता निर्माण पर राष्ट्रीय मिशन (NAMCABs) के तत्वावधान में बैंक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। मिशन का उद्देश्य एमएसएमई को ऋण देने के लिए क्षमता निर्माण करना और उद्यमियों के प्रति संवेदनशीलता और एमएसएमई ऋण के व्यवहारात्मक पहलुओं के बारे में जागरूकता पैदा करना है।

2. उपरोक्त के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक, सीएबी, पुणे 15 से 16 सितंबर, 2025 तक सीएबी परिसर, पुणे में केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्रों / एमएसएमई केंद्रों के लिए "NAMCABS कार्यशाला" आयोजित कर रहा है।

3. कार्यक्रम के उद्देश्य :कार्यक्रम का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण देने के लिए बैंकों के सीपीसी/एमएसएमई केंद्रों में काम करने वाले बैंक अधिकारियों के बीच उद्यमशीलता संवेदनशीलता, जागरूकता सबंधित क्षमता निर्माण करना है।

4. स्थान और आवास: कार्यक्रम आवासीय है। ठहरने और खाने की व्यवस्था सीएबी परिसर में की जाएगी। प्रतिभागी 14 सितंबर, 2025 की शाम को सीएबी में रिपोर्ट कर सकते हैं। कार्यक्रम 16 सितंबर, 2025 को शाम 5:30 बजे समाप्त होगा। कृपया ध्यान दें कि ओवरस्टे और अतिथि के साथ आने की अनुमति नहीं है।

5. पाठ्यक्रम सामग्री: कार्यक्रम की व्यापक पाठ्यक्रम सामग्री अनुबंध में दी गई है।

कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, विद्यापीठ मार्ग, पुणे – 411 016 (महाराष्ट्र) भारत
फोन : (91-020) 25538392 फैक्स : (91-020)25538959/25537089 ई-मेल: principalcab@rbi.org.in

College of Agricultural Banking, University Road, Pune - 411 016 (Maharashtra) INDIA
Phone : (91-020) 25538392 Fax : (91-020) 25538959 E-mail : principalcab@rbi.org.in

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइये

6. हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस कार्यक्रम के लिए आप अपने बैंक से सीपीसी/एमएसएमई केंद्रों से जुड़े उपयुक्त अधिकारियों को नामित करें। नामांकन **05 सितंबर 2025** को या उससे पहले nomination.ami@rbi.org.in पर भेजे जा सकते हैं। **कृपया ध्यान दें कि नामांकन first-come-first-served (FCFS) के आधार पर स्वीकार किए जाएंगे क्योंकि सीटें सीमित हैं।**

7. नामांकन संबंधी पूछताछ के लिए, आप नामांकन डेस्क (श्री प्रथमेश पाटील- टेलीफोन नंबर 020 2558 2396/020-2558 1112) से संपर्क कर सकते हैं या ई-मेल के माध्यम से **nomination.ami@rbi.org.in** पर संपर्क कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण तिथियां	
कार्यक्रम तिथियां	15 से 16 सितंबर, 2025
नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि	05 सितंबर 2025
CAB में रिपोर्टिंग	14 सितंबर 2025 शाम को
कार्यक्रम का समापन	16 सितंबर 2025 को शाम 05.30 बजे

सादर

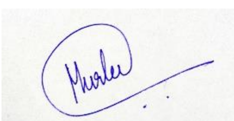

(मुरली कृष्णा एम)
उप महाप्रबंधक एवं संकाय सदस्य
कार्यक्रम निदेशक
Contact: 020-25582318
Email ID- murleekrishna@rbi.org.in

Encl.: As above

Annex I

Course Contents

- Importance of MSMEs in Indian Context - Business case for lending to MSMEs, Need for Entrepreneurial Sensitivity, Classification of MSMEs
- Recent Guidelines of RBI on MSME Financing
- Recent Initiatives of the Government of India for MSME sector
- Credit Guarantee Architecture for MSE finance- Role of CGTMSE & NCGTC, Issues and Challenges
- Appraisal of MSME advances and Revival Rehabilitation, Restructuring of MSME loans
- Use of Credit Scoring and Rating Models for financing of MSMEs - Role of CICs in MSME lending
- Behavioural perspectives on MSME lending -Role of Emotional Intelligence in dealing with MSE customers
- Understanding Entrepreneurial needs in MSME Financing – Effective communication with MSME clients, Transactional Analysis
- Technological interventions for MSME Financing - Digital lending guidelines, AA, TReDS, Role of Fintechs

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 1969 में ग्रामीण और सहकारी बैंकिंग में प्रशिक्षण इनपुट प्रदान करने के लिए कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी) की स्थापना की गई। इसके बाद, भारतीय वित्तीय क्षेत्र की बदलती अपेक्षाओं को ध्यान में रखे हुए, महाविद्यालय द्वारा कृषि बैंकिंग, एमएसएमई वित्तपोषण, वित्तीय समावेशन और साक्षरता, मानव संसाधन और नेतृत्व आदि जैसे अन्य क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अपने दायरे का विस्तार किया गया। अकादमिक वर्ष 2021 से महाविद्यालय द्वारा चार फोकस एरिया (4C) यथा कॉर्पोरेट गवर्नेंस, साइबर सुरक्षा, उपभोक्ता संरक्षण और अनुपालन प्रबंधन की पहचान की गई हैं ताकि वित्तीय प्रणाली में मजबूती प्रदान करने और सेवा मानकों में वृद्धि करने के लिए बैंकरों तथा फाइनेंशियल प्रोफेशनलों की क्षमता निर्माण की जा सके। महाविद्यालय द्वारा विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से कार्यक्रमों और अनुसंधान सम्मेलनों का भी आयोजन किया जाता है। इसी के साथ, महाविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के लिए उनकी आवश्यकतानुसार कस्टमाइज प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।

वर्ष 2015 से एमएसएमई वित्तपोषण के क्षेत्र में विशेषीकृत नैमकैब कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए नोडल संस्थान के रूप में नामित किए जाने के साथ ही वर्ष 2021 में मिशन 'अवतु' के अंतर्गत साइबर सुरक्षा पर शहरी सहकारी बैंकों के विभिन्न स्टेकहोल्डरों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए महाविद्यालय को 'नोडल संस्थान' के रूप में नामित किया गया।